260

संख्याः– 1993/XIV–1/2011–5(44)/2010

प्रेषक,

सी0एम0एस0 बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, पत्र
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 **देहरादून** **दिनॉक 15 दिसम्बर, 2011**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–6899/नियो0/कारपस फण्ड/2011–12 दिनांक 12 अक्टूबर, 2011, वित्त विभाग के आदेश संख्याः–209/XXVII (1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 एवं अनुपूरक अनुदान की स्वीकृतियों सम्बन्धी आदेश संख्याः–584/XXVII (1)/2011 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में पैक्स मिनी बैकों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना (कारपस फण्ड) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग द्वारा प्राविधानित धनराशि **₹ 10,69,000/– (रूपये दस लाख उनहत्तर हजार मात्र)** निम्नांकित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त योजना सम्बन्धी शासनादेश संख्याः–6938–43/व0ग्रा0वि0/सह0/2003–04 दिनांक 17 मार्च 2004 के निर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में जमा निक्षेपों के लिये निक्षेप गारन्टी योजना नियमावली, 2004 की शर्तों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार का अशंदान विगत वित्तीय वर्ष में दिनांक 31 मार्च तक जमा निक्षेप का वार्षिक अंशदान 0.30 प्रतिशत की दर से (वर्ष दौरान निक्षेप राशि पर बृद्धि) अनुमन्य होगा।

(3) प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जिला सहकारी बैंक एवं शीर्ष बैंक के अंशदान जो कि कमशः 0.15, 0.10 एवं 0.05 (वर्ष के दौरान वृद्धि निक्षेप राशि पर) है, जमा किया जाय। उक्त योजना का अनुश्रवण दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित किया जाय तथा उसकी प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जाय।

(4) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

(6) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व